

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, जूनामीठा खेड़ा

प्रकरण सं.:-126/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1023

दिनांक:-01.06.2018

आदेश


प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र व पटवारी जूनामीठा खेड़ा एवं भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 84 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जूनामीठा खेड़ा	84	299 324	पना पुत्र भला	पनाराम पुत्र भलाराम <u>शेष बद्दुस्तर</u>

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1024, 1026

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री पनाराम पुत्र भलाराम जाति रबारी निवासी जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:-01.06.2018


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी